सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-3091/सेक-2-पांच-17-7(69)/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2017

विषयः-सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-महा0निदे0/कैम्प/2017/799, दिनांक 27.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रदेश के चिकित्सालयों में बाह्य एवं अन्तः रोगी विभाग में रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की समयान्तर्गत उपलब्धता भी नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की अत्यन्त कमी है, जिसके कारण जन सामान्य विशेष रूप से गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा/विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा समानुपातिक रूप से सुलभ नहीं हो पाती है। इस कारण से जनसामान्य को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा हेतु प्राइवेट नर्सिंग होम अथवा निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु विवश होना पड़ता है, अथवा आर्थिक अभाव में चिकित्सा उपचार से वंचित रह जाते हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों से चिकित्सीय सुविधा प्राप्त किये जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित लिया गया हैः-

(1) मण्डलीय अपर निदेशक अपने अधीन जनपदों के जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी का रोस्टर तैयार करेंगे, जिसमें सुदूर क्षेत्रों में जनसामान्य को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की सम्यक व्यवस्था होगी।

(2) ड्यूटी का रोस्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर उपलब्ध कराया जाय तथा यदि संबंधित चिकित्साधिकारी अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाय तो, उसके स्थान पर अन्य चिकित्साधिकारी की ड्यूटी रोस्टर में अंकित कर संशोधित रोस्टर अद्यतन किया जाय।

(3) चिकित्सा इकाईयों में प्रतिदिन रोस्टर के अनुसार जिन चिकित्सकों की ड्यूटी लगायी गयी हो, उनका नाम नोटिस बोर्ड पर अंकित जाय।

(4) रोस्टर जो जनपद स्तर पर तैयार किया जाय, उसे मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम

...............2

से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध कराया जायेगा। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रश्नगत सूचना को संकलित कर शासन को मासिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या–3091(1)/सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

3– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

4– समस्त प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला (पुरूष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ0प्र0।

5– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

6– चिकित्सा अनुभाग–3/8।

7– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।